



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238435
CG-DL-E-29082022-238435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3863]
No. 3863]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4037(अ).—केंद्र सरकार एतद्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई.एस.एस), मुंबई को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 65 वर्ष होने तक अथवा अगले आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, वेतन मेट्रिक्स के लेवल 16 में उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-1/2021-यू1(ए)]

कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

S.O. 4037(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 read with Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Dr. Deepak Kumar Srivastava, Professor, School of Management and Labour Studies, Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai to the post of Vice-Chairman, University Grants Commission in Level-16 of the Pay Matrix, for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or until he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No.7-1/2021-U1(A)]

KAMINI CHAUHAN RATAN, Jt. Secy.